कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा

ब्लॉक–3, द्वितीय एवं तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

(फोन – 0771–2636413 फैक्स – 0771–2263412)

(Email - highereducation.cg@gmail.com Website - www.highereducation.cg.gov.in)

क्रमांक ESTB/161/2026-RAJPATRIT STHAPANA नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक ... / 01 / 2026

प्रति,

प्राचार्य,
समस्त शासकीय महाविद्यालय,
छत्तीसगढ़

विषय :– **उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत कार्यरत पदोन्नत प्राध्यापक संवर्ग की अनंतिम वरिष्ठता सूची के प्रकाशन के संबंध में।**

संदर्भ :– अवर सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय नवा रायपुर का पत्र क्रमांक ESTB-107 / 45 / 2025 / 38–1 दिनांक 30.12.2025

––00––

उपरोक्त विषयांतर्गत माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के परिपालनार्थ उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी पुनरीक्षित पदोन्नति आदेश क्र. 1–20 / 2013 / 38–1 दिनांक 19.08.2016, क्रमांक एफ–25 / 2024 / 38–1 दिनांक 29.05.2025 एवंESTB-102(1)/282/2025/38–1 दिनांक 13.10.2025 के तारतम्य में संदर्भित पत्र के माध्यम से पदोन्नत प्राध्यापक की पुनरीक्षित वरिष्ठता सूची का प्रकाशन हेतु उच्च शिक्षा विभाग से अनुमोदन प्राप्त हुआ है।

पुनरीक्षित पदोन्नति के परिपेक्ष्य में पदोन्नत प्राध्यापकों की वरिष्ठता सूची दिनांक 01.04.2017 एवं उसी क्रम में दिनांक 01.04.2023 की स्थिति में वरिष्ठता क्रम का निर्धारण, छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय का पत्र क्रमांक एफ 1–10 / 2008 / 38 दिनांक 04 / 03 / 2008 के आधार तथा छत्तीसगढ़ शैक्षणिक सेवा भर्ती नियम 1990 के अनुसूची–चार के प्रावधान में अंकित बिन्दुओं के दृष्टिगत किया है, प्रावधान के बिन्दु निम्नानुसार है।

(अ) (i) लोक सेवा आयोग से चयनित सहायक प्राध्यापक के लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित वर्ष को माना गया है।

(ii) एक ही विषय में एक ही चयनित वर्ष होने की स्थिति में चयन सूची के क्रम को आधार माना गया है।

(iii) भिन्न–भिन्न विषय एवं एक ही वर्ष होने की स्थिति में आदेश की तिथि माना गया है।

(iv) भिन्न–भिन्न विषय एवं एक ही वर्ष होने एवं आदेश की तिथि भी एक है तो कार्यभार ग्रहण करने की तिथि को आधार माना गया है।

(v) यदि कार्यभार ग्रहण करने की तिथि एक हो तो जन्म तिथि को आधार माना गया है।

(ब) संविलियन किये गये प्राध्यापकों के लिये आधार संविलियन की तिथि से माना गया है।

(स) तदर्थ से नियमित सहायक प्राध्यापकों हेतु नियमितीकरण की तिथि को आधार माना गया है। एक ही एक ही तिथि को नियमित इन सहायक प्राध्यापकों की आपस की वरिष्ठता के निर्धारण हेतु जन्म तिथि को आधार माना गया है।

सहायक प्राध्यापक संवर्ग से पदोन्नत प्राध्यापक संवर्ग में पदोन्नति आदेश की तिथि एक समान होने के परिणाम स्वरूप समेकित वरिष्ठता सूची का आधार नियमानुसार पदोन्नति का आधार सहायक प्राध्यापक संवर्ग में नियमित नियुक्ति में कार्यभार ग्रहण की तिथि को माना गया है। **(जारी सूची के कॉलम क्र. 02 में सहायक प्राध्यापक के स्थान पर पदोन्नत प्राध्यापक पढ़ा जावें)**

क्रमशः......

उपरोक्तानुसार पदोन्नत प्राध्यापकों की अनंतिम पुनरीक्षित वरिष्ठता सूची दिनांक 01.04.2017 एवं दिनांक 01.04.2023 की स्थिति में यदि किसी भी पदोन्नत प्राध्यापक को आपत्ति है, तो आपत्ति दस्तावेज सहित स्वयं उपस्थित होकर दिनांक 20.01.2026 तक कार्यालयीन अवधि में दर्ज कर सकते है। निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त होने वाले आपत्ति विचारनीय नही होगा।

Digitally signed by
SANTOSH KUMAR DEWANGAN
Date: 06-01-2026 15:45:59

आयुक्त
उच्च शिक्षा संचालनालय
छत्तीसगढ़

पृ.क्र.ESTB/161/2026-RAJPATRIT STHAPANA नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक .../01/2026

प्रतिलिपिः—

1. प्रभारी अधिकारी, आई टी प्रकोष्ठ, उच्च शिक्षा संचालनालय, इंद्रावती भवन, ... वर्ष 2017 एवं 2023 की अनंतिम वरिष्ठता सूची विभागीय वेबसाइट में अपलोड करना सुनिश्चित करें।

Digitally signed by
GOVERDHAN YADU
Date: 06-01-2026
15:57:02

सहायक संचालक
उच्च शिक्षा संचालनालय,
छत्तीसगढ़